न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2012/00438 (35/2012) 223 आरटीएक्ट

शंकरलाल पुत्र श्री लेखराम, जाति सिन्धी आयु 61 वर्ष निवासी सिन्धी मोहल्ला हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ । –अपीलाण्ट

बनाम

1. लालचन्द } पुत्रगण रेड़ाराम जाति बिश्नोई निवासीयान तलवाड़ाझील तहसील
2. कुलदीप } टिब्बी जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2011 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी प्रकरण संख्या 107/2011 बअनवानी लालचन्द बनाम चूहड़मल

उपस्थितः–
श्री छगनलाल सिडाना अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः– 13.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व परिपत्र दिनांक 06.10.2009 कस्टोडियन में इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नं. 1 टीएलडब्ल्यू जमाबंदी संवत 2068–71 खाता संख्या 178/173 प. नं. 236/301 (38) किला नं. 18, 21, पत्थर नं. 236/302 (43) किला नं. 1, प. नम्बर 235/302 (44) किला नं. 5, 6, कुल तादादी 1.265 है. उनके कब्जा काश्त में 25 वर्षों से चली आ रही है। इस भूमि पर चूहड़मल उर्फ भरतलाल पुत्र देउमल का 25 वर्ष से कब्जा नहीं रहा इसलिए प्रश्नगत भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। विचारण न्यायालय ने चूहडमल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिये एवं तद्पुरान्त दिनांक 01.12.2011 को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में खातेदारी दर्ज करने के आदेश देते हुए चूहड़मल का नाम कलमजन करने के आदेश दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चूहड़मल उर्फ भरतलाल पुत्र श्री दउमल ने दिनांक 16.05.2008 को प्रश्नगत कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित करवाकर नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित करवा दी थी। चूहड़मल का दिनांक 07.03.2010 को स्वर्गवास हो चुका था इसलिए अपीलाण्ट के हक व अधिकार वाद पत्र व अपील में वर्णित कृषि भूमि से प्रभावित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधिक प्रावधानों के विपरीत व मनमाना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। चूहडमल का देहान्त दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

07.03.2010 हो गया था विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्टान ने दिनांक 17.05.2010 को राजस्व वाद प्रस्तुत किया था इस प्रकार रेस्पोडेण्टान द्वारा वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायलाय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2010 मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। चूहडमल के सम्मन अथवा नोटिस कभी भी सांभरलेक जिला जयपुर नहीं भेजे गये बल्कि सम्मन तलवाड़ा झील में भिजवाये गये एवं इसी प्रकार उसके सम्मन दैनिक तेज अखबार में प्रकाशित करवाये गये जबकि वाद पत्र व निर्णय में यह स्पष्ट अंकित है कि चूहड़मल तलवाड़ाझील में निवास नहीं करता था। दैनिक तेज कभी भी सांभरलेक नहीं पहुंचाया जाता जबकि रेस्पोडेण्ट का निवासी स्थान सांभरलेक जिला जयपुर अंकित किया गया था। राष्ट्रपति भारत सरकार की कृषि भूमि के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेण्ट का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा। वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट प्रश्नगत कृषि भूमि का मालिक है इसलिए यह अपील अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन फिर भी तृतीय पक्ष की और से यह अपील प्रसतुत करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है। अपीलाण्ट आवश्यक कार्य से टिब्बी गया हुआ था तो रेस्पोडेण्टान ने अपीलाण्ट को यह धमकी दी कि उन्होंने दिनांक 01.12.2011 को प्रश्नगत कृषि भूमि का निर्णय अपने पक्ष में पारित करवा लिया है जिसका ज्ञान होते ही अपीलाण्ट ने विचारण न्यायलाय के निर्णय व डिक्री व आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तो अपीलाण्ट को ज्ञान हुआ और ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का 25 वर्षों से लगातार काश्त चली आ रही है प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कभी भी कब्जा काश्त में नहीं रही है। वर्तमान में भी यह भूमि रेस्पोडेण्ट के ही कब्जा काश्त में है प्रश्नगत भूमि चूहडमल के नाम अलॉटी राष्ट्रपति भारतसरकार दर्ज है अर्थात उक्त भूमि निष्क्रान्त भूमि है जो प्रतिवादी के नाम से दर्ज थी। वादीगण का कब्जा तहसीलदार राजस्व टिब्बी की रिपोर्ट से साबित है। चूहड़सिंह को तलब किया गया समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति के उपरान्त भी प्रतिवादी या प्रतिवादी का कोई प्लीडर न्यायालय में हाजिर नहीं आया। निष्क्रान्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के रूप में काबिज होने पर किसी खातेदार को खातेदार अधिकार दिये जाने कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निष्क्रान्त भूमि निस्तारण के सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 06.10.2009 व 28.11.2011 को निष्क्रान्त भूमि निस्तारण के नियमों में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन परिपत्र में निष्क्रान्त भूमि पर यदि किसी काश्तकार का कब्जा काश्त है तो उसे कीमतन नियमन किया जा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र द्वारा निष्क्रान्त भूमि की बैठक जिसका अनुमोदन हो चुका है के आधार पर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वादीगण का वाद निष्क्रान्त भूमि निस्तारण की सलाहकार समिति में रखा गया सलाहकार समिति के सदस्यों ने सलाह दी की यदि वादीगण डीएलसी की 25 प्रतिशत राशि व शास्ति राशि जमा करवाता है तो अपना कब्जा नियमन करवाकर खतोदारी पाने का अधिकारी है। आवंटन सलाहकार समिति की सलाह पर वादी का वाद स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट ने वसीयत के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अपना हक अधिकार होने का कथन किया है। लेकिन जो वसीयत है वह रजिस्टर्ड नहीं है केवल मात्र नोटेरी से तस्दीक की हुई वसीयत की फोटो प्रति पेश की है। फोटो प्रति एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से अपीलाण्ट के अधिकार सृजित नहीं हो जाते है। अपीलाण्ट ने वसीयत के आधार पर अपील प्रस्तुत की है वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट को सिविल कोर्ट में दावा करना चाहिए था। अनरजिस्टर्ड वसीयत की फोटो प्रति के आधार पर अपीलाण्ट राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा चूहडमल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया वह भी केवल एक फोटो प्रति मात्र है, जो कोई अहमियत नहीं रखता है। अपीलाण्ट ने देरी का समुचित कारण कथित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के सम्बन्ध में आरआरटी 2014 (1) पेज 209 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत निष्क्रान्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 88 आरटीएक्ट व परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अन्तर्गत वाद पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें चूहड़मल उर्फ भरतलाल पुत्र देवूमल कौम सिन्धी के नाम दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए खातेदारी अधिकार दिये जाने का अनुतोष राज्य सरकार परिपत्र दिनांक 06.10.2009 व 08.11.2011 के अन्तर्गत दिये जाने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय में मांगा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 1 टीएलडब्ल्यू बी के खाता संख्या 173/187 के प0 नं0 236/301 किला नं. 18, 21 प0 नं0 236/302 किला नं. 1 प0 नं0 235/302 किला नं. 5, 6 कुल 1.265 है0 भूमि पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि प्रश्नगत भूमि चूहड़मल प्रतिवादी के नाम से दर्ज है लेकिन प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण के कब्जा काश्त में है जो वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट से साबित है। अपील में अपीलाण्ट ने अपने कब्जा के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी को तलब किये जाने पर समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी या प्रतिवादी का कोई प्लीडर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आया। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6.10.2009 व दिनांक 8.11.2011 के क्रम में वादी का वाद निष्क्रान्त भूमि निस्तारण की सलाहकार समिति में रखा गया सलाहकार समिति के सदस्य ने सलाह दी की यदि वादीगण परिपत्रों के अनुसार डीएलसी की 25 प्रतिशत व शास्ति राशि जमा करवाकर अपना कब्जा नियमन करवाकर खातेदारी पाने का अधिकारी है और प्रश्नगत भूमि की डीएलसी दर की 25 प्रतिशत राशि 240034/– व शास्ति 5000/– एक माह में जमा जमा करवा देता है तो वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाकर प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि की वसीयत अलॉटी ने उसके नाम से की है। अपीलाण्ट ने वसीयत नोटेरी से अटेस्टेड करवा कर उसकी फौटो प्रति प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने अलॉटी चूहड़सिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो कि प्रमाणित दस्तावेज नहीं है इसलिए वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है केवल नोटेरी से अटेस्टेड की फोटो प्रति होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नही है। अलॉटी वरवक्त वसीयत खातेदार नहीं था भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से है जिसका उसे वसीयत करने का अधिकार नहीं था। वसीयत के आधार पर अनुतोष अपीलाण्ट सिविल न्यायालय से ही प्राप्त कर सकता है। इस न्यायालय से अनरजिस्टर्ड वसीयत की फोटो प्रति के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय का द्वारा नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2011 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.14 13:26:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: